कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

पत्रांकः 28 /अनुज्ञा/नि0प्रा0वि0क्षे0सी0/17–18 दिनांकः 06-05-17

सेवा में,

श्री आलोक पुरी, अमित पुरी आदि (प्रार्थीगण)

नि0 गण मो0 महेन्द्री टोला, खैराबाद, सीतापुर।

महोदय,

खसरा सं0/गाटा सं0: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 33, ग्राम जमैय्यतपुर परगना खैराबाद, जनपद सीतापुर में भूमि के विकास के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु आपके आवेदन पत्र सं0: 117/16-17 दिनांक 10/6/16 के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. तलपट पर मानचित्र की स्वीकृति की अवधि पांच वर्ष होगी तथा विकास कार्य के प्रस्ताव को परिवर्तित करने की दशा में पुनः संशोधित तल पद मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
2. प्रार्थीगण राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी के मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा लोकोपयोगी संकायों के लिए उक्तगणों से रखी जाने वाली भूमि ऐसे निबन्धों एवं शर्तों पर जो कि निर्दिष्ट की जायें अन्तरित करेगा।
3. आन्तरिक विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराये जाने वाले एवं मौके की स्थिति के अनुसार विकास कार्यो का अवलोकन करने के उपरान्त बन्धक रखे गये प्लाट संख्या 125, 120, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, जिनका कुल क्षेत्रफल 2451.95 वर्ग मीटर है, को नियत प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त किया जायेगा।
4. सभी भूखण्डों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु पृथक से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में अथवा किसी सूचना को छिपाकर कपटपूर्ण कृत्य करके स्वीकृत कराये गये मानचित्र को R.B.O. Act 1918 की धारा 7 (ए) के अन्तर्गत निरस्त किया जा सकेगा। मानचित्र को स्वामित्व सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
6. आवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक भूखण्ड पर बोरिंग (जलापूर्ति) व सीवरेज के सम्बन्ध में सेप्टिक टैंक व सोकपिट पृथक रूप से भूखण्ड स्वामी द्वारा स्वंय अपने स्तर से बनाये जायेगें।
7. तल पर मानचित्र स्वीकृत के एक वर्ष के पश्चात कराये गये आन्तरिक कार्यों की समीक्षा की जायेगी। विकास की प्रगति संतोषजनक न होने पर आवेदक को सचेत करने के उपरान्त भी यदि आवेदक द्वारा आन्तरिक विकास कार्य की गति तेज नहीं की जाती है तो बन्धक रखे गये भूखण्डों की आवश्यकतानुसार विक्रय कर अवशेष कार्यों को नियत प्राधिकारी द्वारा पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः..........2

8. तल पर मानचित्र पर दर्शायी गयी ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम किया जायेगा।
9. अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड, सीतापुर व अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 द्वारा शर्तों के साथ अनापत्ति प्रदान की गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न है। विभाग द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
10. नियत प्राधिकारी के साथ निष्पादित अनुबन्ध पत्र व बन्धक पत्र में दिये गये विवरण/शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. सहयुक्त नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ, तहसीलदार सदर, सीतापुर, मध्यांचल विद्युत परिषद व अन्य विभागों की अनापत्तियां स्वीकृत मानचित्र का अंश है एवं इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

24/5/17
अवर अभियन्ता
विनियमित क्षेत्र, सीतापुर।

6/5/17
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/
नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

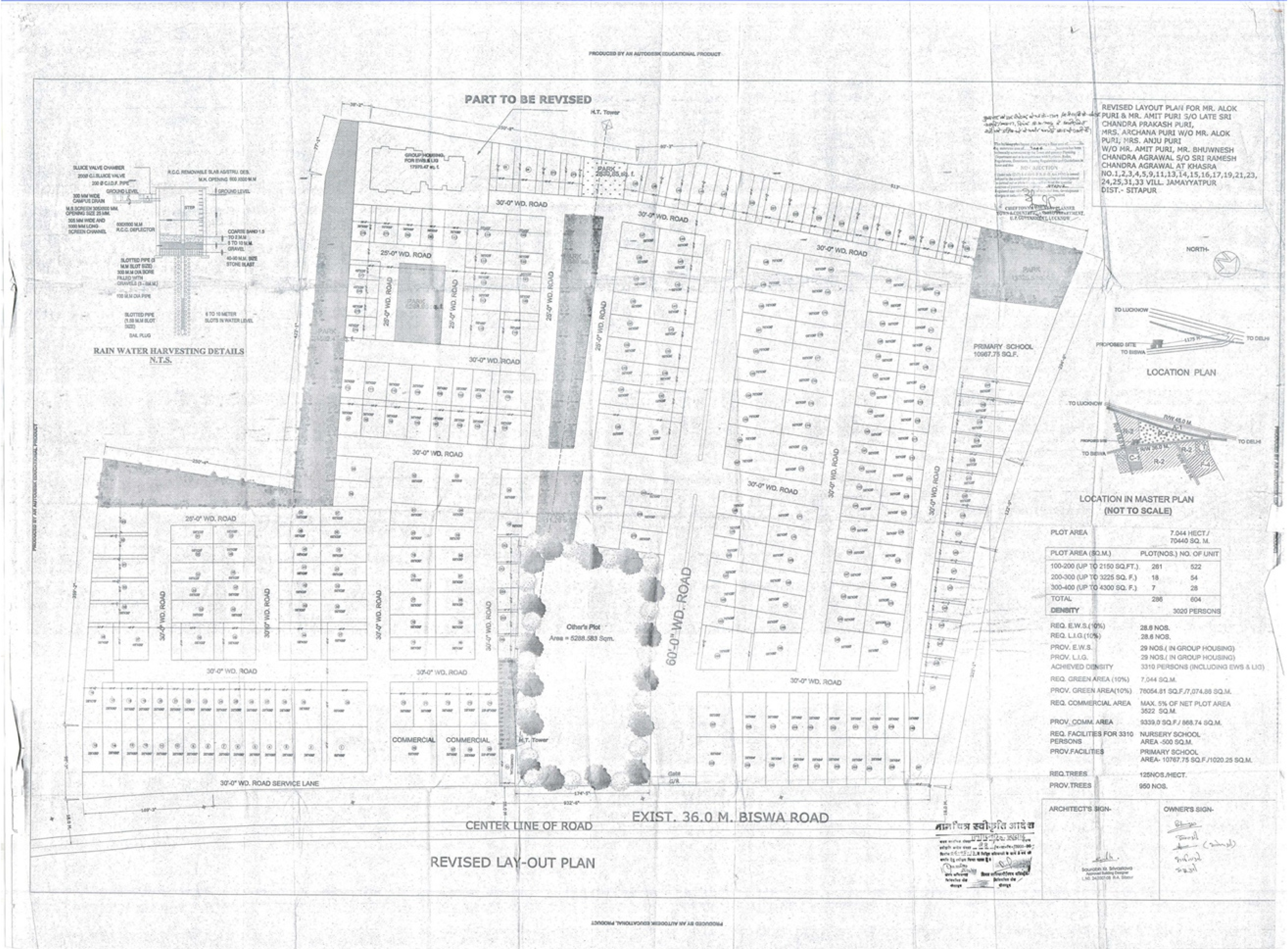
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PART TO BE REVISED
H.T. Tower
REVISED LAYOUT PLAN FOR MR. ALOK PURI & MR. AMIT PURI S/O LATE SRI CHANDRA PRAKASH PURI, MRS. ARCHANA PURI W/O MR. ALOK PURI, MRS. ANJU PURI W/O MR. AMIT PURI, MR. BHUWNESH CHANDRA AGRAWAL S/O SRI RAMESH CHANDRA AGRAWAL AT KHASRA NO.1,2,3,4,5,9,11,13,14,15,16,17,19,21,23, 24,25,31,33 VILL. JAMAYYATPUR DIST.- SITAPUR
RAIN WATER HARVESTING DETAILS
N.T.S.
30'-0" WD. ROAD
25'-0" WD. ROAD
60'-0" WD. ROAD
30'-0" WD. ROAD SERVICE LANE
PRIMARY SCHOOL
10967.75 SQ.F.
COMMERCIAL
Other's Plot
Area = 5288.583 Sqm.
NORTH
LOCATION PLAN
TO LUCKNOW
TO DELHI
TO BISWA
PROPOSED SITE
LOCATION IN MASTER PLAN
(NOT TO SCALE)
PLOT AREA 7.044 HECT./ 70440 SQ. M.
PLOT AREA (SQ.M.) | PLOT(NOS.) | NO. OF UNIT
100-200 (UP TO 2150 SQ.FT.) | 261 | 522
200-300 (UP TO 3225 SQ. F.) | 18 | 54
300-400 (UP TO 4300 SQ. F.) | 7 | 28
TOTAL | 286 | 604
DENSITY | 3020 PERSONS
REQ. E.W.S.(10%) 28.6 NOS.
REQ. L.I.G.(10%) 28.6 NOS.
PROV. E.W.S. 29 NOS.(IN GROUP HOUSING)
PROV. L.I.G. 29 NOS.(IN GROUP HOUSING)
ACHIEVED DENSITY 3310 PERSONS (INCLUDING EWS & LIG)
REQ. GREEN AREA (10%) 7,044 SQ.M.
PROV. GREEN AREA(10%) 76054.81 SQ.F./7,074.86 SQ.M.
REQ. COMMERCIAL AREA MAX. 5% OF NET PLOT AREA 3522 SQ.M.
PROV. COMM. AREA 9339.0 SQ.F./ 868.74 SQ.M.
REQ. FACILITIES FOR 3310 PERSONS NURSERY SCHOOL AREA -500 SQ.M.
PROV.FACILITIES PRIMARY SCHOOL AREA- 10767.75 SQ.F./1020.25 SQ.M.
REQ.TREES 125NOS./HECT.
PROV.TREES 950 NOS.
ARCHITECT'S SIGN-
OWNER'S SIGN-
EXIST. 36.0 M. BISWA ROAD
CENTER LINE OF ROAD
REVISED LAY-OUT PLAN
मानचित्र स्वीकृति आदेश